रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1719] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 23, 2013/श्रावण 1, 1935
No. 1719] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 23, 2013/SHRAVANA 1, 1935

पर्यावरण और वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2013

का आ. 2260(अ).—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के आदेश द्वारा संख्यांक 1676 (अ) तारीख 9 जुलाई, 2009 द्वारा आंध्र प्रदेश तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का गठन तीन वर्ष की अवधि के लिए किया था और उक्त प्राधिकरण की पदावधि समाप्त हो गई है ;

और केन्द्रीय सरकार का यह दृष्टिकोण है कि प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जाना चाहिए ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1676(अ) तारीख 9 जुलाई, 2009 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने से लोप किया गया है, आंध्र प्रदेश तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) 20 दिसंबर, 2015 तक की अवधि के लिए गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

1.	सरकार के विशेष मुख्य सचिव, पर्यावरण वन विज्ञान और तकनीकी विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद	अध्यक्ष
2.	सचिव, राजस्व विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद	सदस्य
3.	निदेशक, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी, हैदराबाद	सदस्य
4.	प्रोफेसर डी. सत्यनारायण, कोस्टल ओशन मानीटरिंग एंड प्रिडिक्शन सिस्टम, महासागर विकास विभाग, प्लॉट नं. 51, पांडुरंगापुरम विशाखापटनम	सदस्य
5.	प्रोफेसर ए.वी. रमण, प्राणी विज्ञान और सामुद्रिक जीव विज्ञान विभाग, आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय, विशाखापटनम	सदस्य
6.	सदस्य सचिव, आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट आथोरिटी काम्पलेक्स, हैदराबाद	सदस्य
7.	डा. बी.आर. सुब्रमण्यम, सलाहकार, एकीकृत तटीय और सामुद्रिक क्षेत्र प्रबंध, महासागर विकास विभाग, चैन्नई	सदस्य
8.	डा. पातंजलि शास्त्री, पर्यावरण केन्द्र, एच. नं. 86-4-16/1, मंथेना गार्डन्स, राजामुंद्री, 533003, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश	सदस्य
9.	डा. डी.वी. भाष्कर राव, प्रोफेसर मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान विभाग, विशाखापटनम, 530003	सदस्य
10.	सरकार के विशेष सचिव, पर्यावरण, वन, विज्ञान और तकनीकी विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद	सदस्य सचिव

2. प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा आंध्र प्रदेश राज्य के क्षेत्रों में पयावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :-

(i) तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों और आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना (सीजैडएमपी) में वर्गीकरण के परिवर्तन या उपांतरणों के प्रस्तावों की परीक्षा करना और उनके लिए राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना;

(ii) (क) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हो ;

(ख) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को निर्देशित करना :

परंतु पैरा 2 के उप-पैरा (ii) (क) और उप पैरा (ii) (ख) के अधीन मामले स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिए जा सकेंगे ।

(iii) उप-पैरा (i) और उप-पैरा (ii) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के अननुपालन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना ;

(iv) उप-पैरा (i) और (ii) से उत्पन्न होने वाले विवाद्यकों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना ।

3. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय विवाद्यकों के संबंध में कार्रवाई करेगा जो उसे आंध्र प्रदेश राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

4. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाएं बनाएगा ।

5. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय के लिए सहजभेद्य क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाएं बनाएगा ।

6. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप् से महत्वपूर्ण खंडों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा ।

7. प्राधिकरण, राज्य सरकार राज्य, वित्त पोषण अभिकरणों या परियोजना प्राधिकारियों आदि से प्राप्त निधियों या फीस को जमा करने के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बैंक खाता रखेगा ।

8. प्राधिकरण, ऊपर पैरा 4, 5 और 6 के अधीन उसके द्वारा तैयार की गई योजनाएं और उनके उपांतरण, परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।

9. प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जो आंध्र प्रदेश राज्य के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अधिकथित की जाती हैं ।

10. प्राधिकरण, उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार राष्ट्रीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।

11. प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि बैठकों के दौरान प्राधिकरण के कम से कम दो तिहाई सदस्य उपस्थित रहते हैं ।

12. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे ।

13. प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित होगा ।

14. प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्टतः न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा ।

[फा. सं.जे-17011/27-1999-आईए-III]
मनिन्दर सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

ORDER

New Delhi, the 9th July, 2013

S.O. 2260(E).— WHEREAS by an order of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, vide number S.O.1676(E), dated the 9th July, 2009 the Central Government reconstituted the Andhra Pradesh Coastal Zone Management Authority, for a period of three years and the term of the said Authority has expired;

AND WHEREAS, the central Government is of the view that such an Authority should be reconstituted;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests Number S.O.1676(E), dated the 9th July, 2009 and Order dated the 19th January, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby reconstitutes the Andhra Pradesh Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period up to the 8th July, 2015 consisting of the following persons, namely:-

1.	Special Chief Secretary to Government, Environment, Forests, Science and Technology Department, Government of Andhra Pradesh, Hyderabad	Chairman
2.	Secretary, Department of Revenue, Government of Andhra Pradesh, Hyderabad.	Member
3.	Director, National Remote Sensing Agency, Hyderabad.	Member
4.	Prof. D. Satyanarayanan, Coastal Ocean Monitoring and Prediction System, Department of Ocean Development, Plot No. 51, Pandurangapuram, Visakhapatnam.	Member
5.	Prof. A. V. Raman, Department of Zoology and Marine Biology, Andhra Pradesh	Member

	University, Visakhapatnam.	
6.	Member Secretary, Andhra Pradesh Pollution Control Board, Housing and Urban Development Authority Complex, Hyderabad.	Member
7.	Dr. B.R Subrahamaniam, Advisor, Integrated Coastal and Marine Area Management, Department of Ocean Development, Chennai.	Member
8.	Dr. Patanjali Sastry, Environment Center, H. No. 86-4-16/1, Manthena Gardens, Rajahmundry- 533003, East Godavari District, Andhra Pradesh.	Member
9.	Dr. D.V. Bhaskar Rao, Professor of Meteorology, Department of Meteorology and Oceanography, Visakhapatnam-530 003.	Member
10.	Special Secretary to Government, Environment, Forests, Science and Technology Department, Government of Andhra Pradesh, Hyderabad	Member Secretary

2. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in areas of the State of Andhra Pradesh, namely: —

(i) examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the Andhra Pradesh State Government and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority;

(ii) (a) inquiry into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder or any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government, as the case may be.

(b) review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and if found necessary, referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority:

Provided that the cases under sub-paragraphs (ii) (a) and (ii) (b) of paragraph II may be taken up *suo-motu* or on the basis of any complaint made by an individual or an representative body or an organization;

(iii) filing complaints, under section 19 of the said Act, in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-paragraphs (i) and (ii) of this paragraph.

(iv) to take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii) of paragraph II of this Order.

3. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the State Government of Andhra Pradesh, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.

4. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate the area-specific management plans for such identified areas.

5. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate the area-specific management plans for such identified areas.

6. The Authority shall identify economically important stretches in the Coastal Regulation Zone and prepare the integrated Coastal Zone Management Plans for the same.

7. The Authority shall maintain a Bank account in a nationalized Bank to deposit funds or fees received from the State Government, funding agencies or project authorities etc.

8. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs 4, 5 and 6 above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval.

9. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Andhra Pradesh.

10. The Authority shall furnish report of its activities at least once in a period of six months to the National Coastal Zone Management Authority.

11. The Authority shall ensure that at least two third members of the Authority are present during the meetings.

12. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

13. The Authority shall have its headquarters at Hyderabad.

14. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

[F. No. J-17011 /27-1999-IA-III]
MANINDER SINGH, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2013

का.आ. 2261(अ).— केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के आदेश द्वारा संख्यांक 3250 (अ) तारीख 21 दिसंबर, 2009 द्वारा दमण और दीव तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का गठन तीन वर्ष की अवधि के लिए किया था और उक्त प्राधिकरण की पदावधि समाप्त हो गई है ;

और केन्द्रीय सरकार का यह दृष्टिकोण है कि प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जाना चाहिए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 3250 (अ) तारीख 21 दिसंबर, 2009 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने से लोप किया गया है, दमण और दीव तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) 20 दिसंबर, 2015 तक की अवधि के लिए गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

1.	सचिव, (पर्यावरण और वन) दमण और दीव तथा दादरा और नागर हवेली	अध्यक्ष
2.	चीफ टाउन एंड कन्ट्री प्लानर, टाउन कन्ट्री प्लानिंग विभाग, मोती दमण	सदस्य
3.	वन संरक्षक, दमण और दीव तथा दादरा और नागर हवेली	सदस्य
4.	निदेशक या उसके नामनिर्देशिती, स्पेस एप्लिकेशन सेंटर, अहमदाबाद	सदस्य
5.	विभागाध्यक्ष, पर्यावरणीय इंजीनियरिंग, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, सूरत	सदस्य
6.	जिला कलेक्टर, दमण	सदस्य
7.	जिला कलेक्टर, दीव	सदस्य
8.	उप वन संरक्षक, दमण और दीव	सदस्य-सचिव

2. प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के क्षेत्रों में पयावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :-

(i) तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों और दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र से प्राप्त तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना (सीजैडएमपी) में वर्गीकरण के परिवर्तन या उपांतरणों के प्रस्तावों की परीक्षा करना और उनके लिए राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना ;

(ii) (क) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हो ;

(ख) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को निर्देशित करना :

परंतु इस उप-पैरा के उपखंड (क) और (ख) के अधीन मामले स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिए जा सकेंगे ।

(iii) उप-पैरा (i) और उप-पैरा (ii) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के अननुपालन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना ;

(iv) उप-पैरा (i) और (ii) से उत्पन्न होने वाले विवाद्यकों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना ।

3. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय विवाद्यकों के संबंध में कार्रवाई करेगा जो उसे दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

4. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाएं बनाएगा ।

5. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय के लिए सहजभेद्य क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाएं बनाएगा ।

6. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप् से महत्वपूर्ण खंडों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा ।

7. प्राधिकरण, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, वित्त पोषण अभिकरणों या परियोजना प्राधिकारियों आदि से प्राप्त निधियों या फीस को जमा करने के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बैंक खाता रखेगा ।

8. प्राधिकरण, ऊपर पैरा 4, 5 और 6 के अधीन उसके द्वारा तैयार की गई योजनाएं और उनके उपांतरण, परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।

9. प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जो दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अधिकथित की जाती हैं ।

10. प्राधिकरण, उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार राष्ट्रीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।

11. प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि बैठकों के दौरान प्राधिकरण के कम से कम दो तिहाई सदस्य उपस्थित रहते हैं ।

12. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे ।

13. प्राधिकरण का मुख्यालय मोती दमण में स्थित होगा ।

14. प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्टतः न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा ।

[फा. सं. जे-17011/18/96-आईए-III]
मनिन्दर सिंह, संयुक्त सचिव

3252 GI/13-3

ORDER

New Delhi, the 9th July, 2013

S.O. 2261(E).— Whereas by an order of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, vide number S.O. 3250(E), dated the 21st December, 2009 the Central Government constituted the Daman and Diu Coastal Zone Management Authority for a period of three years and the term of the said Authority has expired;

AND WHEREAS, the Central Government is of the view that such an Authority should be reconstituted;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests Number S.O. 3250(E), dated the 21st December, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby reconstitutes the Daman and Diu Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) for a period up to the 20th December 2015 consisting of the following persons, namely: -

1	Secretary, (Environment and Forests), Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli.	Chairman
2	Chief Town and Country Planner, Town Country Planning Department , Moti Daman	Member
3	Conservator of Forests, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli.	Member
4	Director or his nominee, Space Application Center, Ahmedabad.	Member
5	Head of Department, Environmental Engineering, Regional Engineering Collage, Surat	Member
6	Collector, Daman	Member
7	Collector, Diu	Member
8	Deputy Conservator of Forests, Daman and Diu.	Member Secretary

2. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in areas of the the Union Territory of Daman and Diu, namely:-

(i) examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the Daman and Diu Administration and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority;

(ii) (a) inquiry into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder or any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government, as the case may be.

(b) review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and if found necessary, referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority:

Provided that the cases under clauses (a) and (b) of this sub-paragraph may be taken up *suo-moto* or on the basis of complaint made by an individual or an representative body or an organization;

(iii) filing complaints under section 19 of the said Act, in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-paragraphs (i) and (ii) of this paragraph;

(iv) to take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii) of this paragraph.

3. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone, which may be referred to it by the Administration of Union Territory of Daman and Diu, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.

4. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate the area-specific management plans for such identified areas.

5. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area-specific management plans for such identified areas.

6. The Authority shall identify economically important stretches in the Coastal Regulation Zone and prepare the integrated Coastal Zone Management Plans for the same.

7. The Authority shall maintain a Bank account in a nationalized Bank to deposit funds or fees received from the State Government, funding agencies or project authorities etc.

8. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs 4, 5 and 6 above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval.

9. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Daman and Diu.

10. The Authority shall furnish report of its activities at least once in a period of six months to the National Coastal Zone Management Authority.

11. The Authority shall ensure that at least two third members of the Authority are present during the meetings.

12. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

13. The Authority shall have its headquarters at Moti Daman.

14. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

[F. No. J-17011/18/96-IA-III]
MANINDER SINGH, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2013

का.आ. 2262(अ).— केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के आदेश द्वारा संख्यांक 3251(अ) तारीख 21 दिसंबर, 2009 द्वारा लक्षद्वीप जोन प्रबंध प्राधिकरण का गठन तीन वर्ष की अवधि के लिए किया था और उक्त प्राधिकरण की पदावधि समाप्त हो गई है ;

और केन्द्रीय सरकार का यह दृष्टिकोण है कि प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जाना चाहिए ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 3251(अ) तारीख 21 दिसंबर, 2009 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने से लोप किया गया है, लक्षद्वीप तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) 20 दिसंबर, 2015 तक की अवधि के लिए गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

1.	प्रशासक, लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र	अध्यक्ष
2.	सचिव, पर्यावरण और पर्यावरण विभाग, लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र	सदस्य
3.	उप वन संरक्षक, लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र	सदस्य
4.	अधीक्षण इंजीनियर, लक्षद्वीप लोक निर्माण विभाग	सदस्य
5.	डा. के.वी. थामस, वैज्ञानिक, भू-विज्ञान अध्ययन केन्द्र तिरुअनंतपुरम	सदस्य
6.	डा. एम. वेफर, वैज्ञानिक, राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थान, गोवा	सदस्य
7.	मुख्य इंजीनियर और प्रशासक, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, भूतल परिवहन मंत्रालय, पोर्ट ब्लेयर या उसका प्रतिनिधि	सदस्य
8.	मत्स्य निदेशक, लक्षद्वीप प्रशासन	सदस्य
9.	सदस्य सचिव, लक्षद्वीप प्रदूषण नियंत्रण समिति	सदस्य सचिव

3250 GI/13-4

2. प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के क्षेत्रों में पयावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :-

(i) तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों और लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से प्राप्त तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना (सीजैडएमपी) में वर्गीकरण के परिवर्तन या उपांतरणों के प्रस्तावों की परीक्षा करना और उनके लिए राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना ;

(ii) (क) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हो ;

(ख) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को निर्देशित करना :

परंतु इस उप-पैरा के उपखंड (क) और (ख) के अधीन मामले स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिए जा सकेंगे ।

(iii) उप-पैरा (i) और उप-पैरा (ii) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के अननुपालन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना;

(iv) उप-पैरा (i) और (ii) से उत्पन्न होने वाले विवाद्यकों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना ।

3. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय विवाद्यकों के संबंध में कार्रवाई करेगा जो उसे लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

4. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाएं बनाएगा ।

5. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय के लिए सहजभेद्य क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाएं बनाएगा ।

6. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खंडों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा ।

7. प्राधिकरण, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, वित्त पोषण अभिकरणों या परियोजना प्राधिकारियों आदि से प्राप्त निधियों या फीस को जमा करने के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बैंक खाता रखेगा ।

8. प्राधिकरण, ऊपर पैरा 4, 5 और 6 के अधीन उसके द्वारा तैयार की गई योजनाएं और उनके उपांतरण, परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।

9. प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जो लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अधिकथित की जाती हैं ।

10. प्राधिकरण, उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार राष्ट्रीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।

11. प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि बैठकों के दौरान प्राधिकरण के कम से कम दो तिहाई सदस्य उपस्थित रहते हैं ।

12. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे ।

13. प्राधिकरण का मुख्यालय कावारत्ती में स्थित होगा ।

14. प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्टतः न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा ।

[फा. सं.12-3/2005--आईए-III]
मनिन्दर सिंह, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 9th July, 2013

S.O. 2262(E).—WHEREAS by an Order of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, vide number S.O. 3251(E), dated the 21st December, 2009, the Central Government reconstituted the Lakshadweep Coastal Zone Management Authority, for a period of three years and the term of the said Authority has expired;

AND WHEREAS, the central Government is of the view that such an Authority should be reconstituted;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests Number S.O. 3251(E), dated the 21st December, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby reconstitutes the Lakshadweep Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period up to 20th December 2013, namely:-

1	Administrator, Union territory of Lakshadweep.	Chairman
2	Secretary, Department of Environment and Forests, Union territory of Lakshadweep.	Member
3	Deputy Conservator of Forests. Union territory of Lakshadweep.	Member
4	Superintending Engineer, Lakshadweep, Public Works Department.	Member
5	Dr. K.V Thomas, Scientist, Centre for Earth Science Studies, Thiruvanthapuram.	Member
6	Dr. M. Wafer, Scientist, National Institute of Oceanography, Goa.	Member

7	Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works, Ministry of Surface Transport, Port Blair or his representative.	Member
8	Director of Fisheries, Lakshadweep Administration.	Member
9	Member Secretary, Lakshadweep Pollution Control Committee.	Member Secretary

2. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in areas of the Union Territory of Lakshadweep, namely: —

(i) examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan received from the Lakshadweep Union territory Administration and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority, as the case may be.

(ii) (a) inquiry into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made there under or any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under section 5 of the said Act, in so far as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;

(b) review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made there under or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and if found necessary, referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority:

Provided that the cases under clauses (a) and (b) may be taken up *suo-motu* or on the basis of complaint made by an individual or a representative body or an organization;

(iii) filing complaints, under section 19 of the said Act, in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-paragraphs (i) and (ii);

(iv) to take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii);

3. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone, which may be referred to it by the Union Territory

3250 GI/13-5

Lakshadweep, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.

4. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate the area-specific management plans for such identified areas.

5. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate the area-specific management plans for such identified areas.

6. The Authority shall identify economically important stretches in the Coastal Regulation Zone and prepare the integrated Coastal Zone Management Plans for the same.

7. The Authority shall maintain a Bank account in a nationalized Bank to deposit funds or fees received from the Administration of Union Territory, funding agencies or project authorities etc.

8. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs 4, 5 and 6 above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval.

9. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Lakshadweep.

10. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

11. The Authority shall ensure that at least two third members of the Authority are present during the meetings.

12. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

13. The Authority shall have its headquarters at Kavaratti.

14. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

[F.No.12-3/2005-IA-III]
MANINDER SINGH, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2013

का.आ. 2263(अ).— केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के आदेश द्वारा संख्यांक 2294(अ) तारीख 7 सितंबर, 2009 द्वारा कर्नाटक तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का गठन तीन वर्ष की अवधि के लिए किया था और उक्त प्राधिकरण की पदावधि समाप्त हो गई है ;

और केन्द्रीय सरकार का यह दृष्टिकोण है कि प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जाना चाहिए ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 2294(अ) तारीख 7 सितंबर, 2009 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने से लोप किया गया है, कर्नाटक तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) 20 दिसंबर, 2015 तक की अवधि के लिए गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

1	प्रधान सचिव, वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार	अध्यक्ष
2.	सचिव, (पारिस्थितिकी और वन) कर्नाटक सरकार	सदस्य
3.	प्रधान सचिव, शहरी विकास, कर्नाटक सरकार	सदस्य
4.	प्रधान सचिव, पशु पालन और मत्स्य, कर्नाटक सरकार	सदस्य
5.	प्रधान सचिव, उद्योग और वाणिज्य, कर्नाटक सरकार	सदस्य
6.	प्रधान सचिव, सूचना, पर्यटन और युवा सेवाएं, कर्नाटक सरकार	सदस्य
7.	अध्यक्ष, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण, कर्नाटक सरकार	सदस्य
8.	निदेशक, कर्नाटक राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लिकेशन सेंटर, कर्नाटक सरकार	सदस्य
9.	डा. एन. जयबालन, आचार्य और प्रधान, मत्स्य संसाधन	सदस्य

	और प्रबंध विभाग, कर्नाटक पशु चिकित्सा, पशु और मत्सय विज्ञान विश्वविद्यालय, मत्स्य महाविद्यालय मंगलौर	
10.	प्रोफेसर के.वी. कृष्णामूर्ति, आचार्य और प्रधान, वनस्पति विज्ञान विभाग, स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज, भारतीदासन विश्वविद्यालय, तिरुचिरापल्ली	सदस्य
11	श्री बी.के. जगदीशचंद्र, सेवानिवृत्त प्रचार्य, मुख्य वन संरक्षक, बैंगलौर	सदस्य
12	श्री सुरेश हबलीकर, ईको-वॉच, सेंटर फॉर प्रोमोशन आफ एन्वायरमेंट एंड रिसर्च, बैंगलौर (एनजीओ)	सदस्य
13	ज्येष्ठ निदेशक (तकनीकी) वन पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार	सदस्य सचिव

2. प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा कर्नाटक राज्य के क्षेत्रों में पयावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :-

(i) तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों और कर्नाटक राज्य सरकार से प्राप्त तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना (सीजैडएमपी) में वर्गीकरण के परिवर्तन या उपांतरणों के प्रस्तावों की परीक्षा करना और उनके लिए राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना ;

(ii) (क) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हो ;

(ख) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को निर्देशित करना :

परंतु इस उप-पैरा के उपखंड (क) और (ख) के अधीन मामले स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिए जा सकेंगे ।

(iii) उप-पैरा (i) और उप-पैरा (ii) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के अननुपालन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना ;

(iv) उप-पैरा (i) और (ii) से उत्पन्न होने वाले विवाद्यकों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना ।

3. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय विवाद्यकों के संबंध में कार्रवाई करेगा जो उसे कर्नाटक राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

4. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाएं बनाएगा ।

5. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय के लिए सहजभेद्य क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाएं बनाएगा ।

6. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप् से महत्वपूर्ण खंडों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा ।

7. प्राधिकरण, राज्य सरकार, वित्त पोषण अभिकरणों या परियोजना प्राधिकारियों आदि से प्राप्त निधियों या फीस को जमा करने के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बैंक खाता रखेगा ।

8. प्राधिकरण, ऊपर पैरा 4, 5 और 6 के अधीन उसके द्वारा तैयार की गई योजनाएं और उनके उपांतरण, परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।

9. प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जो कर्नाटक राज्य के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अधिकथित की जाती हैं ।

10. प्राधिकरण, उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार राष्ट्रीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।

11. प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि बैठकों के दौरान प्राधिकरण के कम से कम दो तिहाई सदस्य उपस्थित रहते हैं ।

12. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे ।

13. प्राधिकरण का मुख्यालय बैंगलोर में स्थित होगा ।

3252 GI/13-6

14. प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्टतः न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा ।

[फा. सं. 12-4/2005--आईए-III]
मनिन्दर सिंह, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 9th July, 2013

S.O. 2263(E).—Whereas by an order of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, vide number S.O. 2294(E), dated the 7th September, 2009, the Central Government reconstituted the Karnataka Coastal Zone Management Authority for a period of three years with effect from the date of publication of the order in the Official Gazette, and the term of the said Authority has expired;

AND WHEREAS, the Central Government is of the view that such an Authority must be reconstituted;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests Number S.O. 2294(E), dated the 7th September, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby reconstitutes the Karnataka Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) for a period up to the 6th September 2013 consisting of the following persons, namely:

1.	Principal Secretary, Department of Forest, Ecology and Environment, Government of Karnataka	Chairman
2	Secretary, (Ecology and Environment), Government of Karnataka	Member
3	Principal Secretary, Urban Development, Government of Karnataka	Member
4	Principal Secretary, Animal Husbandry and Fisheries, Government of Karnataka	Member
5	Principal Secretary, Industries and Commerce, Government of Karnataka	Member
6	Principal Secretary, Information, Tourism and Youth Services, Government of Karnataka.	Member
7	Chairman, Karnataka State Pollution Control Board, Government of Karnataka	Member
8	Director, Karnataka State Remote Sensing Application Centre, Government of Karnataka.	Member
9	Dr. N. Jayabalan, Professor and Head, Department of Fisheries Resources and Management, Karnataka Veterinary, Animal and Fisheries Sciences University, College of Fisheries, Mangalore.	Member

10	Professor KV. Krishnamurthy, Professor and Head, Department of Plant Sciences, School of Life Sciences, Bharathidasan University, Tiruchirapalli.	Member
11	Shri B.K. Jagadish Chandra, Retired Principal Chief Conservator of Forests, Bangalore.	Member
12	Shri Suresh Heblikar, Eco-Watch, Centre for Promotion of Environment and Research, Bangalore (NGO)	Member
13	Senior Director (Technical), Department of Forest, Ecology and Environment, Government of Karnataka.	Member-Secretary

2. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in areas of the State of Karnataka, namely:-

(i) examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the Karnataka State Government and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority;

(ii) (a) inquiry into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder or any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government, as the cased may be.

(b) review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and if found necessary, referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority:

Provided that the cases under clauses (a) and (b) of this sub-paragraph may be taken up *suo-moto* or on the basis of complaint made by an individual or an representative body or an organization;

(iii) filing complaints, under section 19 of the said Act, in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-paragraphs (i) and (ii) of this paragraph;

(iv) to take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii) of this paragraph.

3. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone, which may be referred to it by the State Government of Karnataka, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.

4. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate the area-specific management plans for such identified areas.

5. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate the area-specific management plans for such identified areas.

6. The Authority shall identify economically important stretches in the Coastal Regulation Zone and prepare the integrated Coastal Zone Management Plans for the same.

7. The Authority shall maintain a Bank account in a nationalized Bank to deposit funds or fees received from the State Government, funding agencies or project authorities etc.

8. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs 4, 5 and 6 above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval.

9. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Karnataka.

10. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

11. The Authority shall ensure that at least two third members of the Authority are present during the meetings.

12. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

13. The Authority shall have its headquarters at Bangalore.

14. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

[F.No.12-4/2005-IA-III]
MANINDER SINGH, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2013

का.आ. 2264(अ).— केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के आदेश संख्यांक का.आ. 821(अ) तारीख 9 अप्रैल, 2010 द्वारा गोवा राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का पुनर्गठन तीन वर्ष की अवधि के लिए किया था और उक्त प्राधिकरण की पदावधि समाप्त हो गई है;

और केन्द्रीय सरकार का यह दृष्टिकोण है कि ऐसे प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जाना चाहिए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गोवा राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

1.	सचिव, (पर्यावरण) गोवा सरकार	अध्यक्ष
2.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग	सदस्य
3.	निदेशक, पंचायत निदेशालय, गोवा सरकार	सदस्य
4.	निदेशक, पर्यटन निदेशालय, गोवा सरकार	सदस्य
5.	निदेशक, उद्योग, वाणिज्य और व्यापार निदेशालय, गोवा सरकार	सदस्य
6.	मुख्य इंजीनियर, जल संसाधन विभाग, गोवा सरकार	सदस्य
7.	मुख्य इंजीनियर, (भवन), लोक निर्माण विभाग, गोवा सरकार	सदस्य
8	डा0 एंटोनियो अर्सेनियो मासकारेन्हा, ज्येष्ठ प्रधान वैज्ञानिक, एनआईओ, डोना पौला	सदस्य
9.	श्री रघुनाथ धूमे, शक्ति- एच नं. 23/90, चिडविलास कॉलोनी, तेलीगांव कारनजालेम-गोवा	सदस्य
10.	डा. सविता केरकेर, उपाचार्य, सामुद्रिक जैवप्रविधि विभाग, गोवा विश्वविद्यालय, तेलीगांव प्लेट्यू, तेलीगांव	सदस्य
11.	डा0 नितिन सावंत, सदस्य सचिव, गोवा राज्य, जैव विविधता बोर्ड (जीएसबीबी) सेलीगांव	सदस्य
12.	निदेशक/पदेन, संयुक्त सचिव, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग	सदस्य सचिव

3250 GI/13-7

2. प्राधिकरण को गोवा राज्य के क्षेत्रों में तटीय पर्यावरण की क्वालिटी को संरक्षित करने और सुधारने तथा पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :-

(i) गोवा राज्य सरकार से प्राप्त तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों और तटीय जोन प्रबंध योजना के वर्गीकरण में परिवर्तन या उपांतरण के लिए प्रस्तावों का परीक्षण करना और तटीय विनियमन जोन के दृष्टिकोण से विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 में अधिकथित है जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिसूचना, 2011 कहा गया है ;

(ii) (क) उक्त अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के उपबंध, जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित है, के अभिकथित उल्लंघन के मामलों में जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में यह आवश्यक पाया जाए तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट उस मामले में जारी किसी निदेश से असंगत नहीं है ;

(ख) उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियम या किसी अन्य विधि के उपबंध का, जो उक्त अधिनियम के उद्देश्य से संबंधित है, उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक पाया जाए तो ऐसे मामलों को राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को टीका-टिप्पणियों सहित पुनर्विलोकन के लिए भेजना :

परंतु प्राधिकरण, इस उप पैरा के खंड (क) और खंड (ख) के अधीन मामलों को स्वतः प्रेरणा से या किसी व्यष्टि या किसी निकाय या किसी संगठन के प्रतिनिधि द्वारा किए गए परिवाद के आधार पर ले सकेगा;

(iii) उप पैरा (i) और उप पैरा (ii) के अधीन इसके द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करना;

(iv) उप पैरा (i) और उप पैरा (ii) से उद्भूत मामलों से संबद्ध तथ्यों को सत्यापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना ।

3. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय मुद्दों पर कार्रवाई करेगा जो उसको यथास्थिति, गोवा राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं ।

4. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचाने गए क्षेत्रों के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्र प्रबंध योजना बनाएगा

5. प्राधिकरण, संरक्षण परियोजनाओं या तटीय जनसंख्या संरक्षा आदि के विकास से संबंधित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समन्वय करेगा ।

6. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय के लिए सहजभेद्य क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाएं बनाएगा ।

7. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खंडों की पहचान करेगा और उनके लिए समेकित तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा ।

8. प्राधिकरण, ऊपर पैरा 4, 6 और 7 के अधीन इसके द्वारा तैयार की गई योजनाओं और उनके उपांतरणों को राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को उनकी परीक्षा और इसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा ।

9. प्राधिकरण, ऐसी सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जो गोवा की अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना और अधिसूचना, 2011 में अधिकथित हैं ।

10. प्राधिकरण, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय को छह मास में कम से कम एक बार अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

11. प्राधिकरण के बैठक की गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या के दो-तिहाई होगी और यदि गणपूर्ति उपलब्ध नहीं है तो बैठक 30 मिनट के लिए स्थगित हो जाएगी और उसे पुनः आहूत किया जाएगा ।

12. प्राधिकरण, राज्य सरकार, वित्तपोषण अधिकरणों या परियोजना प्राधिकारियों आदि से प्राप्त निधियों/फीसों को जमा करने के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में अपना खाता रखेगा ।

13. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्राधिकरण के पास इस आदेश और उक्त अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट इसके प्रभावी कृत्यों का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधन, मानव शक्ति, निधियां उपलब्ध हैं ।

14. प्राधिकरण, सभी आवश्यक उपाय और पहल, जिसमें कार्यक्रम का निष्पादन, अनुसंधान, सूचना प्रसार, प्रशिक्षण, जागरुकता, दिन-प्रतिदिन के कृत्य और समर्थन आदि सम्मिलित हैं, करेगा और उपयुक्त प्रक्रियाओं और साधनों को, जिसमें उसके लिए संसाधन वित्तपोषण आदि जुटाना भी सम्मिलित है, अंगीकृत करेगा ।

15. प्राधिकरण, अधिसूचना, 2011 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार राज्य में तटीय क्षेत्रों के तटीय विनियमन जोन मानचित्र तैयार करेगा और इसे राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा ।

16. प्राधिकरण, जिला तटीय जोन मानीटरी समितियों के कृत्यों का नियमित रूप से पुनर्विलोकन करेगा ।

17. प्राधिकरण, अधिसूचना, 2011 के उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी संबद्ध योजना प्राधिकारियों, क्षेत्र अभिकरणों, जिला कलेक्टरों को निदेश देगा और उल्लंघन या अननुपालन के मामले में उपयुक्त कार्रवाई करेगा ।

18. वेतन और भत्ते जैसे- यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता, आसन फीस, क्षेत्र दौरा फीस आदि केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर विनिश्चित किए गए संनियमों के अनुसार होंगे ।

19. प्राधिकरण, जब कभी आवश्यकता हो, अपनी बैठक के दौरान सदस्य के रूप में अन्य विशेषज्ञ आमंत्रित करेगा ।

20. प्राधिकरण के क्षेत्र और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्ट रूप से नहीं आने वाले किसी मामले को संबद्ध कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा ।

21. प्राधिकरण, पर्यावरण विभाग से परामर्श करके संवीक्षा फीस का वैसे ही उद्ग्रहण कर सकेगा जो एक प्रदूषक सिद्धांततः संदाय करता है ।

22. प्राधिकरण, अधिसूचना, 2011 में अधिकथित प्रक्रिया और पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी स्पष्टीकरणों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार तटीय विनियमन जोन अनापत्ति के लिए उसे प्राप्त हुए, उसको निर्दिष्ट हुए या उसके समक्ष रखे गए सभी मामलों, प्रस्तावों को प्रक्रियागत करेगा ।

23. अधिसूचना, 2011 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करने की शक्तियां प्राधिकरण और प्राधिकरण के अध्यक्ष को प्रत्यायोजित की जाती हैं और अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए निर्देशो की दशा में ऐसे निदेश को जारी किए जाने के लिए कारणों को विनिर्दिष्ट करने वाली रिपोर्ट और उसकी प्रास्थिति सहित प्राधिकरण के समक्ष इसकी आगामी बैठक में रखी जाएगी ।

24. प्राधिकरण, तटीय जोन प्रबंध योजना के कार्यकरण में पारदर्शिता रखेगा और एक समर्पित वेबसाइट सृजित करने और कार्यसूची, कार्यवृत्त, किए गए विनिश्चय, समाशोधन पत्र, उल्लंघन, उल्लंघनों और न्यायालयी मामलों, जिसके अंतर्गत माननीय न्यायालय के आदेश भी हैं, पर की गई कार्रवाई के साथ ही राज्य सरकार की अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजनाओं को वेबसाइट पर डालने के लिए कदम उठाएगा ।

25. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे ।

26. प्राधिकरण का अपना मुख्यालय गोवा में स्थित होगा ।

[फा. सं.12-6/2005--आईए-III]

मनिन्दर सिंह, संयुक्त सचिव.

ORDER

New Delhi, the 22nd July, 2013

S.O. 2264(E).— Whereas by an order of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O 821(E), dated the 9th April, 2010, the Central Government reconstituted the Goa State Coastal Zone Management Authority for a period of three years and the term of the said Authority has expired;

And whereas, the Central Government is of the view that such an Authority must be reconstituted;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby reconstitutes the Goa State Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) for a period of three years, with effect from the date of publication of this order in the Official Gazette, namely:-

1.	Secretary (Environment), Government of Goa	Chairman;
2.	Principal Chief Conservator of Forests, Forest Department	Member;
3.	Director, Directorate of Panchayats, Government of Goa	Member;
4.	Director, Directorate of Tourism, Government of Goa	Member;
5.	Director, Directorate of Industries, Trade and Commerce, Government of Goa	Member;
6.	Chief Engineer, Water Resource Department, Government of Goa	Member;
7.	Chief Engineer (Building), Public Works Department, Government of Goa	Member;
8.	Dr. Antonio Arsenio Mascarenha, Sr.Principal Scientist, NIO, Dona Paula	Member;
9.	Shri Ragunath Dhume, Shakti, H.No.23/90, Chidvilas Colony, Taleigao Caranzalem- Goa.	

3250 GI/13-8

10.	Dr. Savita Kerkar, Reader, Department of Marine Biotechnology, Goa University, Teleigoa Plateau, Teleigao	Member;
11.	Dr. Nitin Sawant, Member Secretary, Goa State Biodiversity Board (GSBB) Saligao.	Member;
12.	Director/Ex-officio, Joint Secretary, Department of Science, technology and Environment	Member-Secretary.

2. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the State of Goa, namely:-

(i) examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan received from the State Government of Goa and making specific recommendations from Coastal Regulation Zone point of view which are laid down in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 19 (E), dated the 06th January, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) hereinafter referred to as the Notification, 2011;

(ii) (a) inquiry into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder or any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under section 5 of the said Act, in so far as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;

(b) review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and if found necessary referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority:

Provided that the Authority may take up the cases under clauses (a) and (b) of this sub-paragraph, *suo motu* or on the basis of any complaint made by an individual or a representative body or an organisation;

(iii) filing complaints, under section 19 of the said Act, in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-paragraphs (i) and (ii);

(iv) to take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii).

3. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone, which may be referred to it by the State Government of Goa, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government, as the case may be

4. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area-specific management plans for such identified areas.

5. The Authority shall co-ordinate for implementing conservation projects or projects related to upliftment of coastal population and their protection, etc.

6. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area-specific management plans for such identified areas .

7. The Authority shall identify economically important stretches in the Coastal Regulation Zone and prepare integrated Coastal Zone Management Plans for the same.

8. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs 4, 6 and 7 above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval.

9. The Authority shall ensure compliance of all conditions that are laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Goa and the notification, 2011.

10. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority and the Ministry of Environment and Forests.

11. The quorum of the meeting of the Authority shall be two third of the total number of the members and in case the quorum is not available, the meeting shall be adjourned for thirty minutes and shall be reconvened.

12. The Authority shall maintain its Bank account in a Nationalized Bank to deposit the funds or fees received from the State Government, funding agencies or project authorities, etc.

13. The State Government shall ensure that sufficient resources, manpower and funds are available to the Authority to discharge its functions effectively as specified in this order and the said Act.

14. The Authority shall take all necessary measures and initiatives including programme execution, research, information dissemination, training, awareness, day to day functioning, and advocacy etc. and adopt suitable procedures and means including raising resources, funding, etc., for the same.

15. The Authority shall prepare and submit Coastal Regulation Zone maps of the coastal areas in the State as per the procedure laid down in the notification , 2011 to the National Coastal Zone Management Authority and the Ministry of Environment and Forests.

16. The Authority shall regularly review the functioning of the District Coastal Zone Monitoring Committees.

17. The Authority shall direct all concerned planning authorities, field agencies and district collectors to ensure the compliance of provisions of the notification, 2011 and take suitable action in case of violations or non- compliance.

18. The pay and allowances such as Traveling Allowance, Dearness Allowance, sitting fees, field visit fees etc. shall be as per the norms decided by the Central Government from time to time.

19. The Authority, whenever required shall invite other experts as members during its meetings.

20. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

21. The Authority may levy scrutiny fees as a polluter pays principle in consultation with the Environment Department.

22. The Authority shall process all the matters, proposals received, referred to or placed before it for Coastal Regulation Zone Clearance as per the procedure laid down in the notification, 2011 and clarifications and guidelines issued by Ministry of Environment and Forests.

23. The powers of issuing directions under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with the notification, 2011 are delegated to the Authority and the Chairman of the Authority and in case the directions are issued by the Chairman, such directions shall be placed before the Authority in its next meeting along with a report specifying the reasons for issuing of the directions and status thereof.

24. The Authority shall maintain transparency in the working of the Coastal Zone Management Plans and shall take steps to create a dedicated website and post the agenda, minutes, decisions taken, clearance letters, violations, action taken on the violations and court matters including the Orders of the Hon'ble Courts as also the approved Coastal Zone Management Plans of the State Government.

25. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

26. The Authority shall have its headquarters at Goa.

[F.No.12-6/2005-IA-III]
MANINDER SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.